

Brand Registration Procedure for Country Liquor

Brand registration is for the registered distilleries of the uttarakhand state which is issued by The Excise commissioner's recommendations. For the financial year 2017-18 Brand registration fee is Rupees 2,15,000 (Two lac fifteen thousands Rupees). Some important points are as follows.

- 1.) Volume of Liquor should be written on the Label.
- 2.) Streingth should be written on the Label.
- 3.) Sufficient space should be there for Batch Number & for MRP.
- 4.) 'Consumption of liquor is injurious to Health' sentence in english & 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।' in hindi should be written on the label.
- 5.) District Name & the coloured strip according to the district should be there in the label.
- 6.) full Name & Complete Address of manufacturer should be written on the Label.
- 7.) Capacitance wise Barcode should be printed there in the label.
- 8.) Consumer care ID, consumer care No & fssai lic no. Should be written on the label.
- 9.) Ingredients should be written on the Label.

ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (देसी मदिरा)

ब्रांड रजिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आसवनियों के लिए है जिसके लिए वर्ष २०१७-१८ में फीस २ लाख १५ हजार रुपये निर्धारित की गयी है। जो की आयुक्त महोदय की अनुमति से किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं।

- 1.) लेबिल पर प्रत्याभूत मात्रा का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 2.) लेबिल पर तीव्रता का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 3.) लेबिल पर बैच नंबर व मूल्य मुद्रित करवाने हेतु व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- 4.) लेबिल पर वैधानिक चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" अंकित होना अनिवार्य है।
- 5.) लेबिल पर जनपद का नाम, जनपद हेतु चुने गए रंग की पट्टी होना अनिवार्य है।
- 6.) लेबिल पर निर्माता कंपनी का नाम व पता मुद्रित होना अनिवार्य है।
- 7.) लेबिल पर धारितावार बारकोड होना अनिवार्य है।
- 8.) लेबिल पर consumer care ID, Consumer Care No तथा Fssai Lic. No. अंकित होना अनिवार्य है।
- 9.) लेबिल पर ingredients अंकित होना अनिवार्य है।